हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
11/22 अपील प्रार्थी ने अपीलांश पर बाद Pass लिखकर समझौता की अवधि के लोक अदालत में निस्तारण की प्रार्थना की। पत्रावली काहे निस्तारण लोक अदालत दिनांक 12/11/22 को पेश हो।	Notified 7-11-22
उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	
12/11/22 अपील प्रार्थी/पत्रावली काहे निस्तारण पेश हुई। अपील प्रार्थी ने पूर्व दिनांक को बाद Pass लिखकर समझौते की गणना से लोक अदालत के निस्तारण की प्रार्थना की थी अतः पत्रावली बाद Pass के खारिज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होने बाबत पेश कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
अध्यक्ष भाल्लुका पंचायत समिति देवली जिला टोंक (राज.) कोड नं 116433	

Scanned with CamScanner